

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर  
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र०)

R - 647-म114



- 1- जियालाल कलार पिता शेषमणि कलार, उम्र 53 वर्ष,  
2- अंतवरिया पति मटुकलाल, उम्र 70 वर्ष,  
3- मटुकलाल तनय शेषमणि कलार, उम्र वर्ष  
सभी निवासी ग्राम गोरा, तहसील सरई, जिला सिगरौली (म0प्र०)

-----निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम

म0प्र० शासन

-----अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर महोदय जिला

सिगरौली म0प्र० के प्रकरण क0-54/अ-74/

2012-13 आदेश दिनांक 23/09/2013

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र० भू राजस्व संहिता

1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के सूक्ष्म तथ्य इस तरह से है :-

- 1- यह कि विवादित आराजी जिसका पुराना नम्बर-92 नया नं0-548, पुराना नम्बर-43 नया नं0-543, पुराना नम्बर-92 नया नं0-555, पुराना नम्बर-92, 43 नया नं0-556 विवादित आराजी नम्बर-543 रकवा 0.65 ए० एवं 506/2 रकवा 0.80 ए० के भूमिस्वामी जियालाल कलार पिता शेषमणि कलार थे, इसी तरह से आ०नं0-548 रकवा 1.20 ए०, 555/2 रकवा रकवा 0.40 ए०, 556/3 रकवा 0.40 ए० के भूमिस्वामी ऐतवरिया कलार पति मटुकलाल कहार सा० गोरा तहसील सरई, जिला सिगरौली थी, इसी प्रकार से आराजी नं0-224/2 रकवा 1.40 ए० के भूमिस्वामी

(ख) 27/1/14

AK

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश र्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-647-II / 14

जिला—सिंगरौली

जियालाल कलार/शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार निगम उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 54/अ-74/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23.09.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

  
 (बी.एम.शर्मा),  
 सदस्य

